न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री सुभाष चन्द शर्मा,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :– 19/2011

निर्णय दिनांकः– 29.2.2016

उनवान

1.रामदयाल पि0मु0 हरिनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम रिजोदा तहसील उनियारा जिला टोंक

2.गुलाबा पि0मु0 माधो जाति मीणा निवासी ग्राम रिजोदा तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थीगण

बनाम

1.मोजीराम पुत्र मोती जाति मीणा निवासी ग्राम रिजोदा तहसील उनियारा जिला टोंक

2.किशनलाल पुत्र मोती जाति मीणा निवासी ग्राम रिजोदा तहसील उनियारा जिला टोंक

3.शंकर पुत्र मोरपाल जाति मीणा निवासी ग्राम रिजोदा तहसील उनियारा जिला टोंक

4.छोटी बेवा मोरपाल जाति मीणा निवासी ग्राम रिजोदा तहसील उनियारा जिला टोंक

5.लखपत पुत्र हरपाल जाति मीणा निवासी ग्राम रिजोदा तहसील उनियारा जिला टोंक

6.फोरया पुत्र हरपाल जाति मीणा निवासी ग्राम रिजोदा तहसील उनियारा जिला टोंक

7.गन्दोडी बेवा हरपाल जाति मीणा निवासी ग्राम रिजोदा तहसील उनियारा जिला टोंक

8.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

–प्रतिपक्षीगण

दावा बाबत उदघोषणा, दु0 इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः श्री आर के सैनी, वकील प्रार्थीगण

श्री बी0यू0खान वकील प्रतिपक्षीगण

व

प्रा0पत्र संख्या :– 11/2011

निर्णय दिनांकः– 29.2.2016

मोजीराम पुत्र मोती जाति मीणा निवासी ग्राम रिजोदा तहसील उनियारा जिला टोंक

प्रार्थी

बनाम

1.रामदयाल पुत्र बद्री जाति मीणा निवासी ग्राम रिजोदा तहसील उनियारा जिला टोंक

2.भागचन्द पुत्र बद्री जाति मीणा निवासी ग्राम रिजोदा तहसील उनियारा जिला टोंक

3.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

–प्रतिपक्षीगण

उपस्थितः–1. श्री बी0यू0खान वकील प्रार्थी

2.श्री आर के सैनी वकील प्रतिपक्षीगण

निर्णय

प्रार्थना पत्र संख्या 19/2011 व 11/2011 की विवादित भूमि तथा पक्षकार लगभग समान होने से प्रार्थना पत्र संख्या 11/2011 का निर्णय प्रार्थना पत्र संख्या 19/2011 के साथ ही सुनकर किया जा रहा है।

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 19/2011 के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:-

यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की साबिका आराजी ख0न0 3 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम रिजोदा तहसील उनियारा जिला टोंक मे स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी के सटवा ही प्रतिपक्षीगण 1 ता 2 की तथा प्रतिपक्षी न0 3 ता 7 के पति/ पिता मोरपाल पुत्र हजारी की संयुक्त खातेदारी की साबिक आराजी ख0न0 4 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा ख0न0 5 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा ग्राम रिजोदा तहसील उनियारा जिला टोंक है। प्रार्थीगण के साबिक ख0न0 3 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा के हाल ख0न0 124 रकबा 1.39 है0 बने है। जो कि साबिक रकबे से 18 एयर भूमि कम दर्ज की है तथा प्रतिपक्षीगण के साबिक ख0न0 4 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा ख0न0 5 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा के हाल ख0न0 122 रकबा 0.86, ख0न0 125 रकबा .05, ख0न0 26 रकबा 0.9, ख0न0 26/695 रकबा 0.63 हैक्टर कुल रकबा 3.45 है0 बनाये है, जो साबिक रकबे से 0.25 है0 ज्यादा है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों से दौराने सेटलमेन्ट साजिश कर प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थीगण के रकबे को अपनी खातेदारी मे गलत दर्ज करवा लिया तथा शीट को भी गलत बना दिया है। साबिक ख0न0 4 व 5 के नये नम्बर 122, 125, 126, 26/695 बनवाकर चारों भाईयों ने एक एक खसरा नम्बर अपनी अपनी खातेदारी मे लगवा लिये। प्रार्थीग्ण के खातेदारी के रकबे 18 एयर को प्रतिपक्षी न0 के ख0न0 125 मे गलत दर्ज किया है। इस कारण प्रार्थीगण के ख0न0 124 का रकबा सेटलमेन्ट से पूर्व की भांति 1.57 है0 दर्ज कर प्रार्थीगण को ख0न0 124 रकबा 1.57 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण पूर्व की भांति 1.57 है0 पर काबिज काश्त है। ख0न0 124 सेटलमेन्ट सेपूर्व की भांति आज भी मोके पर बना हुआ है। लेकिन राजस्व रेकार्ड मे 0.18 है0 भूमि प्रार्थीगण की प्रतिपक्षीगण के खातेदारी मे लग जाने तथा नक्शा शीट मे गलत इन्द्राज हो जाने के कारण प्रतिपक्षीगण राजस्व रेकार्ड मे अंकन के आधार पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भुमि को खुर्द बुर्द व विक्रय करने पर आमदा है।

यह कि प्रार्थीगण की अधियाचना है कि प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 124 रकबा 1.57 है0 (पूर्व साबिक रेकार्ड के अनुसार जिसमे ख0न0 125 रकबा 1.05 मे प्रार्थीगण का 0.18 है0) रकबा गलत रूप से अंकन हो गया है मे किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नही करे और ना ही प्रार्थीगण को बेदखल करे। ता फैसला वाद ख0न0 125 का कोई हिस्सा रहन बैचान हस्तान्तरण नही करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी न0 1 की ओर से उनके वकील श्री बी0य0 खान ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि ख0न0 125 रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम रिजोदा प्रतिपक्षी न0 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिससे प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नही है। प्रार्थीगण उक्त वाद पत्र की आड मे जबरन कब्जा करने पर आमादा है। प्रतिपक्षी न0 1 की उक्त आराजी मे प्रार्थीगण ने जबरन कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा हो गये , इस कारण प्रतिपक्षी न0 1 ने न्यायालय हाजा मे वाद प्रस्तुत कर अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा रखा है तथा उक्त वाद पत्र से बचने के लिये प्रार्थीगण ने उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 5 मे आराजी ख0न0 124 मोके पर पूर्व की भांति बना हुआ बताया है, इस कारण

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण को उक्त आराजी का सीमाज्ञान कराना चाहिये था। प्रार्थीगण ने गलत रूप से उक्त वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिपक्षी न0 1 की आराजी का रकबा मोके पर पूर्व की भांति ही बना हुआ है। प्रतिपक्षी रिकार्डेड खातेदार है, उसे प्रार्थीगण पाबन्द कराने के अधिकारी नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। साबिक ख0न0 3 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम रिजोदा जमाबन्दी खाता संख्या 57 मे प्रार्थीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज है। नकल मिलान क्षैत्रफल बन्दोबस्त संवत 2041 से 2060 मे साबिक ख0न0 3 रकबा 6 बीधा रकबा 6 बिस्वा व खबिक ख0न0 5 रकबा 12 बिस्वा से हाल ख0न0 124 रकबा 1.39 है0 कायम हुये है। जो नकल जमाबन्दी सम्वत 2067 वाके ग्रामरिजोदा मे प्रार्थीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज है। साबिक ख0न0 4 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम रिजोदा मोरपाल व किशनलाल व भोज्या हरपाल पि0 मोती कोम मीणा सा0 देह ब हिस्सा बराबर खातेदार दर्ज है। नकल मिलान क्षैत्रफल के अनुसार उक्त साबिक आराजीयात से निम्न प्रकार नवीन नम्बर कायम हुये है:—

सा0ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
4	12 बीघा 5 बिस्वा	122	0.86
4मी0	—	125	1.05
4मी0	—	126	0.91
4मी0	—	126/695	0.63

ख0न0 125 रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम रिजोदा मोजीराम पुत्र मोती मीणा नि0 रिजोदा की खातेदारी मे दर्ज है। ख0न0 122 रकबा 0.86 है0 हिरालाल पुत्र मोती जाति मीना सा0 रिजोदा की खातेदारी मे दर्ज है। ख0न0 126 रकबा 0.91 है0 वाके ग्राम रिजोदा शंकर पुत्र मोरपाल व छोटी बेवा मोरपाल नि0 रिजोदा की खातेदारी मे दर्ज है। ख0न0 126/695 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम रिजोदा हरपाल पुत्र मोती मीना सा0 रिजोदा की खातेदारी मे दर्ज है। इस प्रकार साबिक ख0न0 12 बीघा 5 बिस्वा की तुलना मे प्रतिपक्षीगण की खातेदारी मे 3.45 है0 भूमि दर्ज हुयी है। तथा प्रार्थीगण के साबिक ख0न0 3 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा की तुलना मे 1.39 है0 भूमि ही खातेदारी मे दर्ज हुयी है। चूकि प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण ने आपस मे एक दूसरे के विरूद्ध न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किये है। जिनका निस्तारण मूल वाद मे साक्ष्य व सबूत आने पर ही तय हो पावेगा। न्यायालय वाद बाहुलता को रोकने के लिये विवादित भूमि के ताफैसला वाद रिकार्ड व मोके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करना उचित समझता है। अतः दोनों पक्षों को ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी ख0न0 125 रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम रिजोदा के रेकार्ड व मोके की यथास्थिति बनाये रखे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.2.2012 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुभाषचन्द शर्मा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner